वितत मंत्रालय

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भारतीय करदाताओं के साथ पांच एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता किया द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (ब्रिटेन को शामिल करते हुए) पर हस्ताक्षर

Posted On: 28 JUN 2017 5:54PM by PIB Delhi

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जून, 2017 के दौरान भारतीय करदाताओं के साथ पांच एकपक्षीय अगि्रम मूल्य निर्धारण समझौता किया। इस महीने में एक द्विपक्षीय अगि्रम मूल्य निर्धारण समझौतें (बि्रटेन को शामिल करते हुए) पर भी हस्ताक्षर किए गए।

अगि्रम मूल्य निर्धारण समझौता योजना अंतरण मूल्य निर्धारण में मूल्य निर्धारण के तरीकों और आगे के अधिकतम पांच वायदा वर्षों के लिए अगि्रम रूप से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के मूल्य निर्धारण में करदात्ताओं को निश्चितता उपलब्ध कराने के लिए है। करदाता को पहले के चार वर्षों के लिए एपीए वापस लेने का विकल्प है। इसके परिणामस्वरूप कुल नौ वर्षों की अविध के लिए कर निश्चितता प्रदान की जाती है। एपीए योजना ने प्रारंभ से ही मल्टीनेशनल उदममियों को आकर्षित करती रही है।

जून, 2017 में हस्ताक्षर एपीए स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा गेमिंग/एनीमेशन (मीडिया) क्षेत्र से संबंधित है।

चालू वित्त वर्ष में नौ एक पक्षीय अगि्रम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। चालू वित्त वर्ष में एक द्विपक्षीय समझौतें पर हस्ताक्षर हुआ। इस तरह एपीए योजना शुरू होने से आज तक 162 समझौतों (एक पक्षीय 150 तथा द्विपक्षीय

12) पर हस्ताक्षर किए गए। सीबीडीटी को निकट भविष्य में और समझौतें होने की आशा है।

एपीए योजना की प्रगति गैर विरोधी कर व्यवस्था को आगे बढ़ाने के सरकार के संकल्प को मजबूत बनाती है।

वीके/एजी/डीके-1873

(Release ID: 1493981) Visitor Counter: 8

f







in